



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 78-2020/Ext.]

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 8 जून, 2020 (18 ज्येष्ठा, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
1.	हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13)।	95
2.	हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10)।	97
3.	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9)।	99
4.	हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8)।	101
5.	हरियाणा अनुसूचित जाति (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14)।	103-105
6.	हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5)।	107-112
7.	पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 4)।	113-117
8.	हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11)।	119-123
9.	हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12)। (केवल हिन्दी में)	125-126
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं।	
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग—I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 जून, 2020

संख्या लैज. 14/2020.— दि हरियाणा ऑफिशल लैन्ग्विज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम जून, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13**हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020**

हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969,

को आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।
(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,
अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारम्भ।

1969 के हरियाणा
अधिनियम 17 में
धारा 3—क का
रखा जाना।

“3—क. न्यायालयों तथा अधिकरणों में हिन्दी का प्रयोग.— (1) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल न्यायालयों और दण्ड न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा गठित सभी राजस्व न्यायालयों तथा भाटक अधिकरणों अथवा किसी अन्य न्यायालय अथवा अधिकरण में कार्य हिन्दी भाषा में किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ के छह मास के भीतर, अमले को आवश्यक अवसंरचना और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजन हेतु, ‘सिविल न्यायालय’ तथा ‘दण्ड न्यायालय’ शब्दों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में दिए गए हैं।”।

.....

बिमलेश तंवर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।